न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 7/2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
1. पदम कंवर पत्नी पूरणसिंह जाति राजपूत निवासी सोवनिया तह0 व जिला पाली राज0।		1. बालूराम पुत्र गणेशराम जाति बावरी निवासी खामल तह0 सोजत जिला पाली राज0। 2. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 20/08/25

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम खामल भू.अ.नि.क्षेत्र खामल पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर एवं खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1000 हैक्टर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की उक्त हक हकूक खातेदारी कृषि भूमि के पड़ौस मे अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1223/688 रकबा 1.1110 हैक्टर की कृषि भूमि आई हुई स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी के मध्य हर समय माठ व धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 जोर जबरदस्ती अपने हक हिस्से से ज्यादा प्रार्थी की कृषि भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर उतारू रहतें है तथा दोनों के मध्य माठों को लेकर व हिस्से को लेकर विवाद नहीं हो इस हेतु प्रार्थी अपनी स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि का माप एवं सीमाकन कर पत्थरगढ़ी करवाकर तारबंदी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सुरक्षित रहे तथा फसल को किसी प्रकार का नुकसान इत्यादि कारित नही हो इसलिए उक्त खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर तथा खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर कृषि भूमि का पत्थरगढ़ी के जरिए पैमाईस करवाया जाकर मुटाम लगवाया जाना कानून्न आवश्यक है, जिससे अन्य खसरान के खातेदारों से किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं हो तथा प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की माठ हमेशा के लिए कायम हो सके। यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी के जरिए पैमाईस करवाने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। प्रार्थी द्वारा पैमाईश सीमाकंन हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 10/06/2024 को प्रस्तुत किया गया था जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा पटवारी हल्का खामल को प्रार्थी की कृषि भूमि की पैमाईश व सीमाकंन करने हेतु उसी दिन दिनांक 10/06/2024 को आदेश पारित किया गया जिस आदेश की पालना में पटवारी हल्का खामल द्वारा मौके का सीमाकंन करने हेतु मौके पर गये अप्रार्थीगण द्वारा सीमाकंन नही करने तथा मौके पर विवाद पैदा करने लगे। पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि का सीमाकंन किया जाकर मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15/06/2024 को तैयार की गई लेकिन पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध मे विवाद होने की वजह से पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकी तथा पटवारी हल्का द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थी को कहा गया कि पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय से आदेश पारित किये जाने के पश्चात् ही मौके पर पत्थरगढ़ी की जा सकती अन्यथा नहीं इस प्रकार पटवारी हल्का खामल के द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट तहसीलदार सोजत को मूल प्रार्थना पत्र सहित लौटा दिया। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माप सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सीमाकंन करवा कर मुटाम लगवाया जाकर पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

फरमाया जाकर सरहद मौजा खामल के खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर तथा खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा खामल के खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर तथा खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर का सीमाकंन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द तथा प्रा0पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यो के अनुसार यह साबित होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौतबिरानों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया, लेकिन मौके पर विवाद होने से पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकी। अतः प्रस्तुत दस्तावेज तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थी के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम खामल भू.अ.नि.क्षेत्र खामल पटवार हल्का शिवपुरा तहसील सोजत में प्रार्थी की मालिकाना, हक, हकूक, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर एवं खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.1000 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा खामल तह0 सोजत के खसरा संख्या 689 रकबा 1.4700 हैक्टर तथा खसरा संख्या 690 रकबा 0.6300 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20/09/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)